



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 पौष, 1942 (श०)

संख्या- 9 राँची, मंगलवार,

5 जनवरी, 2021 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

31 दिसम्बर, 2020

संख्या--8/गठन/147/2017/न.वि.आ.-3406--झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) (यथा संशोधित) की धारा-3 की उपधारा (2) सहपठित धारा-4, 5, 6, धारा-8 की उपधारा-(2) तथा धारा-14(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-4561, दिनांक-07.09.2018 के द्वारा बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के 08 राजस्व ग्रामों (राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या सहित परिशिष्ट के रूप में संलग्न) को मिलाकर **गोमिया नगर परिषद् वर्ग-‘ख’** का गठन किया गया था।

2. स्थानीय जनप्रतिनिधियों, क्षेत्र के 08 मुखियागण एवं अन्य ग्रामीणों से गोमिया नगर परिषद् के गठन के संबंध में यह आपत्ति प्राप्त हुई कि परिषद् क्षेत्र में शामिल सम्पूर्ण क्षेत्र ग्रामीण प्रकृति का है तथा अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य पर जीवनयापन करती है। दैनिक एवं दिहाड़ी मजदूर प्रायः काम की तलाश में अन्य क्षेत्रों में पलायन करते हैं, जिसके फलस्वरूप नगर परिषद् के गठन होने पर जनता विभिन्न कर के बोझ से दब जाएगी।

3. उक्त आपत्तियों पर उपायुक्त, बोकारो से मंतव्य की मांग की गई। उपायुक्त बोकारो के पत्रांक-754/प., दिनांक-21.08.2020 द्वारा गोमिया नगर परिषद् के विघटन की अनुशंसा की गई। उक्त अनुशंसा पर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् गोमिया के द्वारा पत्रांक-41, दिनांक-01.09.2020 के माध्यम से सहमति व्यक्त की गई।

4. उक्त आलोक में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-9 (6) के परन्तुक के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-2319 दिनांक-21.09.2020 के द्वारा बोकारो जिला अन्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के 08 राजस्व ग्राम यथा-गोमिया, पलिहारी गुरुडीह, ससबेड़ा, खम्हरा, स्वांग, पिपराडीह, हजारी एवं खुदगड़ा को मिलाकर विभागीय अधिसूचना संख्या-4561 दिनांक-07.09.2018 द्वारा गठित गोमिया नगर परिषद् वर्ग 'ख' को विघटित करने संबंधी प्रारूप आदेश निर्गत करते हुए 30 (तीस) दिनों के अन्दर गोमिया नगर परिषद् वर्ग-'ख' के विघटन के प्रस्ताव/प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव उपायुक्त, बोकारो के कार्यालय में समर्पित किये जाने की सूचना प्रकाशित की गयी।

निर्धारित 30 दिनों के अन्तर्गत प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव के आलोक में उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-1064 दिनांक-23.11.2020 के द्वारा गोमिया नगर परिषद् वर्ग-'ख' के विघटन की अनुशंसा विभाग से की गयी।

5. अतः सम्यक् विचारोपरांत नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-4561 दिनांक-07.09.2018 के द्वारा गठित गोमिया नगर परिषद् वर्ग-'ख' को अधिसूचना निर्गत की तिथि से विघटित किया जाता है।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
